दिनांक 07.05.2013 को S.E.I.A.A., Jharkhand , रांची की बैठक की कार्यवाही:

दिनांक 07.05.2013 को बैठक में SEIAA झारखण्ड के कार्यालय में श्री गुरदीप सिंह, अध्यक्ष SEIAA की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई जिसमें सदस्य सचिव SEIAA, श्री अमित्व बंद्योपाध्याय, सदस्य SEIAA, तथा विशेष आमंत्रित अध्यक्ष SEAC, Jharkhand ने भाग लिया बैठक में निम्नवत् बिन्दुओं पर विमर्श हुआ एवं निर्णय लिया गया :–

(क) 5 हे0 से कम क्षेत्रफल के Minor Minerals के पट्टों पर पर्यावरण अनुमति (Environmental Clearance) जारी करने के लिए Minor Minerals का चिन्हांकन तथा उनकी संक्षिप्त प्रक्रिया हेतु चर्चा की गयी। EIA 2006 अधिसूचना के अनुसार MoEF को B1, B2 Category निर्धारित करनी है। इसकी प्रक्रिया चालू है और निर्णय आने में कुछ समय लगेगा। इसको ध्यान में रखते हुए SEIAA Committee ने विचार विमर्श निम्न बिंदुओं पर किया:–

1. JHARKHAND-SEIAA के पास लगभग 59 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। आवेदनों का परीक्षण करने पर SEIAA ने यह पाया कि 5 हे0 से कम के क्षेत्रफल में उत्खनन् के लिए 41 आवेदन है।
2. दीपक कुमार विरूद्ध राज्य सरकार हरियाणा एवं अन्य के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा I.A. No. 12-13 of 2011 in SLP(C) no. 19628-19629 of 2009 के संबंध में दिनांक 27.02.2012 को जारी आदेश के परिपालन में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पत्र क्र॰ I-11011/47/2011-IA.II(M) दिनांक 18.05.2012 को जारी कार्यालयीन ज्ञापन में उल्लेखित है कि ..... सभी Minor Minerals के लीज स्वीकृति/नवीकरण हेतु पर्यावरणीय अनुमति आवश्यक होगी। अब 50 हे0 से कम के क्षेत्रफल से लेकर 5 हे0 से कम Minor Minerals खनन् कार्य को बी श्रेणी में रखा जायेगा तथा EIA नोटिफिकेशन 2006 के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त करनी होगी। तदनुसार मंत्रालय द्वारा संबंधित राज्य पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरणों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप प्रकरणों का निराकरण किये जाने का ज्ञापन जारी किया गया है।
3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश एवं MP, UP, Maharastra की SEIAA द्वारा 5 हे0 से कम के Minor Minerals की पूर्व पर्यानरणीय अनुमति जारी करने के बारे में उनके द्वारा लिए गये निर्णयों पर भी विचार किया गया। SEIAA, Jharkhand ने MoEF की 30th EAC कि बैठक में निर्णय का अध्ययन किया।
4. उपरोक्त वर्णित बिंदु क्र॰ 1 से 3 तक के तथ्यों पर सम्यक् विचार विमर्श किया गया। प्रदेश के infrastructure (अधोसंरचन) विकास (भवन एवं सड़क निर्माण इत्यादि) तथा पर्यावरण पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित Minor Minerals को चिन्हांकित किया गया।
   a) साधारण रेत, बजरी।
   b) ईट, बर्तन आदि बनाने के लिए साधारण मिट्टी।
   c) पत्थर, बोल्डर, रोड मेटल, गिट्टी, परिष्कृत processed / finalized पत्थर, रबल, चिप्स।
   d) मुरूम।

e) लाइम, कंकर, भवन निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग में लाये जाने वाले चूने के विनिर्माण के लिए भट्टी में जलाकर उपयोग के लिए।

f) ग्रेवल।

उपरोक्तानुसार यह सुनिश्चित किया गया है कि 5 हे0 से कम क्षेत्रफल के Minor Lease के उक्त Minor Minerals की पर्यारणीय अनुमति जारी करने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया का पालन करते हुए EIA नोटिफिकेशन 2006 के अनुसार इन्हें बी–2 श्रेणी में रखा जाये जब तक MoEF के द्वारा अन्यथा नहीं निर्धारित हो जाता है।

5. उपरोक्तानुसार इसी तारतम्य में यह निर्णय लिया गया कि बिन्दु क्र॰ 4 में उल्लेखित Minor Minerals के प्रकरणों के लिए निम्नानुसार मापदण्ड होंगे।

1. सभी प्रकरणों पर EIA नोटिफिकेशन 2006 में उल्लेखित समान्य शर्तों (General Condition) लागू होगी। यदि कोई भी परियोजना का पूर्ण हिस्सा या उसका कुछ भाग निम्नलिखित (a to d) की बॉउन्ड्री से 10 किलोमीटर के अन्दर स्थित है।

a) वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अंतर्गत अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र।
b) केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा समय–समय पर अधिसूचित Critically Polluted Area.
c) अधिसूचित Eco-Sensitive क्षेत्र।
d) अन्तर्राज्यीय बाउन्ड्री।

2. Habitation, जलाशय, पुरातात्विक महत्व के स्थलों से दूरी 500 मीटर के कम न हो।
3. परियोजना के कारण किसी महत्वूर्ण जलागम (Water Intake) या जलबहाव क्षेत्र में परिवर्तन न हो।
4. रेत खनन् के मामले में रेत/बजरी खनन का कार्य नदी तट से 15 मीटर की दूरी या नदी की कुल चौडाई (पाट) के 1/5 भाग के बराबर दूरी, जो भी अधिक हो पर खनन नहीं किया जायेगा।
5. नदी के Upstream एवं Down Stream में रेल/सड़क पुलीया, जल निकासी (Wires) जलागम क्षेत्र (Water Intake) की खनन परिसर से दूरी 500 मीटर से कम न हो।
6. जलीय जैव प्रजातियों को घोषित ब्रीडिंग स्थल 500 मीटर की सीमा से कम न हो।
7. आरक्षित वन/संरक्षित वन से दूरी 250 मीटर से कम न हो।
8. यदि Minor Minerals के एकल माईनिंग लीज जिसका क्षेत्रफल 5 हे0 से कम है, उसे case to case basis आधार पर B2 श्रेणी में मानतें हुए लोक सुनवाई से मुक्त करने पर case to case basis निर्णय लिया जा सकता है।
9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दीपक कुमार एवं अन्य बनाम हरीयाणा राज्य एवं अन्य (IA 12-13 in SLP 19629/09) में दिनांक 27.02.2012 को पारित आदेश के प्रसंग में माईनिंग लीज contiguous हैं या नहीं तथा यदि contiguous हैं तो इसका कुल क्षेत्रफल 5 हे0 से ज्यादा नहीं है, का प्रमाण पत्र जिला खनन् पदाधिकारी से प्राप्त कर समर्पित करना होगा। यदि यह क्षेत्रफल 5 हे0 से अधिक हो जाता है तब पर्यावरणीय अनुमति के लिए बी–1

श्रेणी के प्रकरणों के अनुसार प्रक्रिया का पालन सभी संबंधित खनन पदाधिकारी को करना होगा।

10. परिसर से 1 किलोमीटर की दूरी में स्थित महत्वपूर्ण स्थलों तथा गतिविधियों को दर्शाने वाला नक्शा प्रस्तुत करना होगा।
11. EIA नोटिफिकेशन 2006 के पैरा 7 में पर्यानरणीय अनुमति की निर्धारित प्रक्रिया अनुसार समस्त आवेदन SEIAA के द्वारा SEAC की अनुशंसा हेतु भेजे जायेंगे।
12. आवेदन के साथ पर्यावरण प्रबंध स्कीम योजना प्रस्तुत की गई हो।
13. प्रस्तावित स्थल के उपर से High Tension (33 kv एवं इससे उपर) नहीं गुजरनी चाहिए।

6. लघु खनिज के Mining Plan approval करने की प्रक्रिया पूर्व मे निर्धारित नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 27.02.2012 के आदेश के आलोक में उक्त Environmental Clearance 5 ha. से कम क्षेत्रफल के Mining Lease के लिए भी आवश्यक है। Major Minerals के अनुरूप Minor Minerals के लिए भी Mining Plan को तैयार करने एवं उसके अनुमोदन की आवश्यकता है।

   राज्य सरकार के खनन् एवं भूत्तव विभाग के द्वारा इस संबंध में कोई स्पष्ट प्रक्रिया का निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है। अतः यह निर्णय लिया जाता है कि फिलहाल IBM के द्वारा नियुक्त Agency/Registered व्यक्ति के द्वारा यदि Mining Plan आवेदन के साथ समर्पित किया जाता है तो उसे इस शर्त के साथ स्वीकार किया जा सकता है कि ईकाई तीन माह के अन्दर राज्य सरकार के द्वारा समिति के गठन किए जाने के पश्चात् अनुमोदन प्राप्त कर लेगी एवं जो भी संशोधन/सुधार आदि किए जाते हैं उसे मानने के लिए आवेदनकर्ता बाध्य होंगे।

7. बिन्दु क्र॰ 5 पर दिये निर्धारित मापदणों की प्रमाणित जानकारी के बारे में चर्चा कर यह निर्णय लिया गया कि परिशिष्ट – 1 के क्रमांक– 1, 2, एवं 3 की जानकारी का प्रमाणीकरण प्रादेशित वन प्रमंडल अधिकारी (DFO) द्वारा किया जायेगा तथा क्र॰ संख्या– 4 से 13 की जानकारी का प्रमाणीकरण संबंधित Circle Officer / S.D.O. द्वारा किया जायेगा। यह जानकारी आवेदनकर्ता स्वंय प्राप्त कर SEIAA कार्यालय को पर्यावरण प्रबंध स्कीम (परिशिष्ट–2) के साथ उपलब्ध करायेगा।
8. यह भी निर्णय लिया गया कि भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भी लिये गये निर्णयों से अवगत कराया जाये। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अगर बाद में 5 हे0 से कम क्षेत्रफल के Minor Minerals के पूर्ण पर्यावरण अनुमति के संबंध में पृथक से प्रावधान EIA नोटिफिकेशन 2006 में किया जाता है अथवा पृथक से निर्देश जारी किय जाते हैं तो वह Project Proponent को बाध्य होंगे और कार्यवाही उनके अनुरूप Project Proponent को सुनिश्चित करनी होगी।
9. वन एंव पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा Accredited Consultant के द्वारा तैयार की गई EIA रिर्पोट मान्य होगी तथा Project Proponent की उपस्थिति में रिर्पोट की Presentation की जाएगी।

(ख)

1. मीटिंग में तय किया गया कि राज्य सरकार के NH चौडीकरण के तीन प्राप्त प्रोजेक्ट यथा रांची–जमशेदपुर गढ़वा जिले तथा चाईबासा जिले से संबंधित Environmental Clearance, Proposal को TOR Finalisation राज्य Environmental Clearance के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता पर लिया जाएगा।
2. निर्णय लिया गया कि SEIAA की Website का निर्माण विशेषज्ञ के द्वारा जल्द से जल्द कराया जाए तथा अद्यतन सूचना उस पर लोड कराई जाएंगी।
3. SEIAA का financial position यथा Scrutiny fees receipts एवं SEIAA कार्यालय समर्पित किये जाने के संबंध में अभी तक किये गये कार्यों, व्यय एवं विभिन्न कार्यों के लिए तत्काल रखे गये व्यक्तियों के संबंध में संपुष्टि की गई। SEIAA कार्यालय में योग्य विश्वासी एवं अनुभवी कर्मियों से कार्य लिये जाने पर सहमति हुई।
4. कुल प्राप्त 59 Environmental Clearance प्रस्तावों में से जिन प्रस्तावों की Scrutiny fees प्राप्त हो चुकी है ऐसे 11 प्रस्तावों को SEAC को Technical Appraisal हेतु सौंपने का निर्णय लिया गया।
5. SEIAA की अगली बैठक दिनांक 18.05.2013 को प्रातः 11.00 बजे रखे जाने का निर्णय लिया गया।

ह0/–
सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण,
झारखण्ड, रॉची,
C-170, रोड़ नं0– 4 अशोक नगर,
रांची – 834002

ज्ञापांक– 63. दिनांक – 11/5/2013

प्रतिलिपि –
1. अध्यक्ष, SEIAA, झारखण्ड।
2. सदस्य सचिव, SEIAA, झारखण्ड।
3. सदस्य SEIAA, झारखण्ड।
4. अध्यक्ष, SEAC, झारखण्ड।
5. सदस्य सचिव, प्रदुषण नियंत्रण पर्षद, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव,

राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण,
झारखण्ड, रॉची,
C-170, रोड़ नं0– 4 अशोक नगर,
रांची – 834002

O/C

5 हेक्टे0 से कम क्षेत्रफल के Minor Minerals की पर्यावरणी अनुमति के लिए मापदण्ड अनुसार निर्धारित बिन्दु।

क्र0 सं0	निर्धारित बिन्दु	हाँ / नहीं	जानकारी विवरण • क्रं 1 से 10 तक यदि हाँ है तो विवरण दे अन्यथा नहीं। • क्र0 11 से 14 तक जानकारी देना अनिवार्य है।
1.	क्या 10 कि0मी0 की परिधि में कोई नेशनल पार्क (National park) स्थित है?		
2.	क्या 10 कि0मी0 की परिधि में कोई अभ्यारण (Sanctuary) स्थित है?		
3.	क्या 10 कि0मी0 परिधि में कोई घोषित जैवविविधता (Bio Diversity) क्षेत्र स्थित है?		
4.	क्या 500 मीटर की दूरी के अंदर कोई मानव बसाहट (Habitation) स्थित है?		
5.	क्या 500 मीटर की दूरी के अंदर कोई जलीय निकाय (Dam/Reservoir) स्थित है?		
6.	क्या 500 मीटर की दूरी के अंदर कोई नदी (River) स्थित है?		
7.	क्या 500 मीटर की दूरी के अंदर कोई शैक्षणिक संस्थान (Educational Institute) स्थित है?		
8.	क्या 500 मीटर की दूरी के अंदर कोई चिकित्सालय (Hospital) स्थित है?		
9.	क्या 10 कि0मी0 की परिधि में कोई अंतर्राज्यीय (Interstate) सीमा है?		
10.	क्या 500 मीटर की दूरी के अंदर कोई राष्ट्रीय धरोहर / पुरातत्वीय (Monuments/Archaeological) महत्व के स्थल स्थित हैं?		
11.	प्रस्तावित खनिज का अनुमानित उत्पादन		
12.	नदी से रेत खनन के प्रकरण में (अ) नदी किनारे से खनन परिसर की दूरी क्या है? (ब) नदी की कुल चौड़ाई का 1/5 भाग कितने मीटर में है?		
13.	क्या प्रस्तावित परियोजना के कारण भंत्विपूर्ण जलागम (Water intake) या जलबहाव क्षेत्र में परिवर्तन होगा? (यदि हाँ तो परिवर्तन का विवरण दें)		
14.	खनिज उत्खनन प्रक्रिया के दौरान उपयोग में आने वाली मशीनो के नाम		

सत्यापन

मैं .....पुत्र / पुत्री / पत्नि श्री / श्रीमति..... शपथपूर्वक सत्यापित करता / करती हूँ कि बिन्दु 1 से 14 तक में दी गई समस्त जानकारी मेरे निजी ज्ञान तथा जानकारी के आधार पर सत्य एवं नहो है। यदि इसमे कोई त्रुटि पाई जाती है तो इसकी समस्त जिममेदारी अधोहस्ताक्षकर्ता की होगी तथा यदि इस आधार पर मेरा प्रकरण निरस्त होता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

.....

हस्ताक्षर आवेदनकर्ता

पूर्ण नाम एवं सहित

पर्यावरण प्रबंध स्कीम (Environment Management Scheme) तैयार करने के लिये महत्वपूर्ण बिन्दु

1. उत्खनन पट्टा धारक का नाम और पता
2. क्षेत्र की विशिष्टियाँ
   - (i) करारनामा के निष्पादन का दिनांक
   - (ii) कालावधि (Period)
   - (iii) क्षेत्र की सीमा
   - (iv) खनिज
   - (v) खसरा क्रमांक
   - (vi) पंचायत एवं तहसील
   - (vii) जिला
   - (viii) ST Land है या नहीं, अगर है तो क्या Permission ली गयी है। उसका विवरण लगायें।
   - (ix) क्या पट्टा CNT Act के नियम के बाहर है यदि नहीं तो क्या Permission ली गयी है। उसका विवरण लगायें।
3. उपयोग में लाई जाने वाली मशीनों की विशिष्टियाँ :–
4. पहले से ही बनाये गये सभी गड्ढों तथा पट्टों की सीमा (लीज भूमि) से 1 कि0मी0 तक के सभी क्षेत्रों के ब्यौरों को दर्शाते हुए क्षेत्र का नक्शा
5. किये गये उत्खनन संक्रियाओं के ब्यौरे।
6. वृक्षारोपण की स्कीम
7. क्षति पहुँची भूमि की निरंतर कृष्यकरण तथा पुनर्वास की स्कीम
8. वायु एव पानी से प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण की स्कीम
9. कोई अन्य मामले जो पट्टेदार प्रस्तुत करना चाहता है
10. खनन प्रक्रिया के दौरान उपरी मिट्टी (Top Soil) को अलग से रखने का प्रावधान तथा उपयोग।
11. प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत आस–पास के क्षेत्र में सामाजिक तथा आर्थिक उन्नयन के उपाय।
12. पर्यावरणीय प्रबंधन की बजटीय व्यवस्था।